

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन सैकटर-5,
पंचकुला।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,

यादी क्रमांक 4/29-2013 एम.डी.एम(1)
दिनांक 29-5-2013

विषय: मिड-डे-मील स्कीम के अन्तर्गत खाद्यान्न की सप्लाई हेतु प्राप्त हुई बोरियों
बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

मिड डे मील स्कीम के अन्तर्गत FCI के गोदामो से जो खाद्यान्न उठाया जाता
है वह कम से कम 50 किलो के बैग मे होता है। 4th Joint Review Mission द्वारा सुझाव
दिया गया कि इन बोरियों को बेच कर प्राप्त होने वाली राशि का मिड डे मील के लिए
इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने जिले के सभी
विद्यालयों को सूचित करे कि खाद्यान्न की खाली बोरियों को कबाड मे न फेंका जाए अपितु
उनकी प्रवर्षणी मिड डे मील के स्टॉक रजिस्टर मे की जाए तथा उन्हे संभाल कर रखा जाए।

शुभमा

अधीक्षक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला